पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक (कार्मिक)
हाजीपुर

सं0–ईसीआर/एचआरडी/राज/254/राजभाषा अधिकारी/ग्रुप "बी" दिनांक–29.03.2016

महाप्रबंधक के सचिव–महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ।
अपर महाप्रबंधक/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर।
सभी विभागाध्यक्ष, पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/महेन्द्रुघाट/पूमरे/पटना।
वरि0 उपमहाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर।
अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड/पटना, मुजफ्फरपुर।
अध्यक्ष/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/दीघा घाट/पटना।
मंरेप्र, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय, धनबाद।
सी0डब्लु0एम0(पी0डी0)/मुगलसराय, सी0आर0डब्लु0/हरनौत एवं डब्लु0 एस0/सम0।
वमकाधि/मकाधि, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय, धनबाद।
प्राचार्य/क्षे0रे0प्र0सं0/मुजफ्फरपुर।
राजभाषा अधिकारी, हाजीपुर, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय, धनबाद।
उपमुकाधि/एचआरडी, पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर।
उपमुराधि, पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर।
सकाधि/~~एमपीपी~~/हाजीपुर–नेट पर अपलोड किये जाने हेतु।
सभी अतिरिक्त मंडल इकाई।

विषय :– राजभाषा अधिकारी (ग्रुप "बी") वेतन बैंड–9300–34800 व ग्रेड वेतन–4800 के पद पर चयन।

महाप्रबंधक महोदय के अनुमोदन से राजभाषा अधिकारी (ग्रुप "बी") वेतन बैंड–9300–34800 व ग्रेड वेतन–4800 के 02 पद (सामान्य–**02** अ0जा0–**निल** तथा अ0ज0जा0–**निल**) को चयन के द्वारा भरने हेतु लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर नामिका तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

1. **चयन हेतु लिखित परीक्षा निम्न प्रकार से होगी–**

लिखित परीक्षा की संभावित तिथि	: 20.05.2016
समय	: 10.00 बजे (पूर्वाहन)
परीक्षा स्थल	: महाप्रबंधक/कार्मिक कार्यालय/हाजीपुर

2. **पात्रता**– वेतन बैंड 9300–34800 + गेड वेतन 4600 में नियमित रुप से कार्यरत वरिष्ठ अनुवादक एवं गेड वेतन 4200/– में नियमित रुप से कार्यरत कनिष्ठ अनुवादक जिनका दिनांक 03.09.2015 को रेलवे में कम से कम 03 वर्ष एवं उससे अधिक की अनाकस्मिक सेवा पूर्ण हों, उक्त चयन में शामिल होने हेतु पात्र होंगे।
3. उपरोक्त चयन अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा, सेवा पुस्तिका एवं मौखिक परीक्षा में किये गये प्रदर्शन के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, चिकित्सा जांच में उक्त पद के निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में पास होने की शर्त पर ही मौखिक परीक्षा के लिये पात्र होंगे। लिखित परीक्षा में ओवर ऑल प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थी, चयन हेतु तैयार पैनल पर नियमानुसार रखे जाएगें।
4. रेलवे बोर्ड के पत्रांक ई(जी0पी0)85/1/78 दिनांक 10.09.1986 के अनुसार पूर्व में संचालित उक्त पद के चयन में दो बार असफल हुए कर्मचारियों के संख्या के बराबर उतने ही अतिरिक्त कर्मचारी उक्त परीक्षा में शामिल होने के लिये वरीयतानुसार बुलाये जाएंगे। उक्त चयन हेतु पात्र कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक 'क' (मुख्य सूची) एवं अनुलग्नक 'ख' (स्टैण्ड–बाई सूची) के रुप में संलग्न है।

दिलीप 29.03.16

वरीयता सूची के विरुद्ध अथवा किसी कर्मचारी के नाम को जोडने या हटाने संबंधी कोई अभ्यावेदन यदि प्राप्त होता है तो अधिसूचना जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इसे उचित माध्यम से सीधे उपमुकाधि/एचआरडी/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर को भेजें साथ ही साथ एक प्रति उपमुकाधि/राज0/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर को भी उपलब्ध करावें। उक्त निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. सामान्य रूप से अनुपस्थिति लिखित परीक्षा कराने का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण (जैसे, सिक/आरएमसी, आदि) तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा इस आशय की लिखित पुष्टि किये जाने के आधार पर ही अनुपस्थिति लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दिया जा सकता है, यदि अनुपस्थिति किसी वैसे कारण अथवा परिस्थितिवश हो, जो कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर हो। लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु कर्मचारी को समय से विरमित किये जाने की जिम्मेवारी नियंत्रक अधिकारी का है।

6. सभी संबंधित नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि अनुलग्नक (क) एवं अनुलग्नक (ख) में उल्लेखित कर्मचारियों को उपयुक्त चयन की सूचना से अवगत करा देवें एवं इस संबंध में अनुलग्नक (क) एवं (ख) के कर्मचारियों से अनुलग्नक (ग) में दिये गये प्रपत्र पर परीक्षा में शामिल होने हेतु उनकी सहमति/इच्छा या असहमति/अनिच्छा लिखित रूप से प्राप्त कर इसे अनिवार्य रूप से दिनाक–11.04.2016 तक उपमुकाधि/राज0/पूमरे/हाजीपुर को विशेष दूत से भेजें।

7. **पाठ्यकम–** लिखित परीक्षा 150 अंक का होगा तथा प्राप्तांक 90 अंक होगा। भारतीय रेल स्थापना संहिता–। के पैरा सं0 204.3. के आलोक में प्रोफेशनल अंक के 10 प्रतिशत अंक राजभाषा नियम (Official language policy and rules) विषय पर होगा, जो अनिवार्य नहीं होगा। इस अधिसूचना के साथ पाठ्यकम की प्रति अनुलग्नक (घ) के रुप में संलग्न है, कृपया इसे सभी संबंधित अभ्यर्थियों के नोटिस में लाया जाय।

8. **अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन पूर्व प्रशिक्षण–** रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 ई (एमपीपी)96/3/23 दिनांक 21.07.2000 के आलोक में संबंधित विभाग द्वारा 3–4 सप्ताह (21 कार्यदिवस) का क्लास संचालित किया जाएगा। मुख्य राजभाषा अधिकारी चयन पूर्व प्रशिक्षण क्लास के प्रभारी का नामन करेंगे। प्रभारी द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यकम से सर्वसंबंधित को अवगत कराया जाएगा। चयन पूर्व आयोजित प्रशिक्षण कार्यकम में शामिल होने हेतु कर्मचारी को समय से विरमित किये जाने की जिम्मेवारी उनके नियंत्रक अधिकारी का होगा। विरमन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में कर्मचारी तत्काल लिखित रुप से प्रभारी/चयन पूर्व प्रशिक्षण कार्यकम को रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में इसे कर्मचारी की अनिच्छा समझी जाएगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थी यदि चयन पूर्व प्रशिक्षण में शामिल होने की अनिच्छा ब्यक्त करते हैं तो वैसे मामले में नियंत्रक अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का लिखित रुप में आवेदन प्राप्त कर उपमुकाधि (राज0)/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर को सीधे उपलब्ध करावें। चयन पूर्व प्रशिक्षण कार्यकम के पश्चात किसी प्रकार के अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन पूर्व प्रशिक्षण कार्यकम के पश्चात प्रभारी द्वारा अभ्यर्थियों के उपस्थिति पत्रक समेत सभी संबंधित प्रलेख उपमुकाधि/राज0/पूमरे/हाजीपुर को भेजा जाना अनिवार्य है।

9. सभी नियंत्रक अधिकारी द्वारा अलग–अलग विरमन पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों को उचित पहचान के साथ विरमित किया जाएगा। उचित विरमन पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिलीप पासवान

(दिलीप पासवान)
सकाधि/राजपत्रित
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

अनुलग्नक "क"

राजभाषा अधिकारी (ग्रुप "बी") पद पर चयन हेतु पात्र कर्मचारियों की सूची

क्रम सं0	नाम (श्री / श्रीमति)	समुदाय	पदनाम	पदस्थापना स्थल	जन्म तिथि
1	लगन बेसरा	अ0ज0जा0	वरिष्ठ अनुवादक	मरेप्र / धनबाद	15.11.58
2	दिनेश कुमार शर्मा	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मरेप्र / दानापुर	21.03.58
3	कपिलदेव पासवान	अ0जा0	वरिष्ठ अनुवादक	सीडब्लुएम / सम0	05.11.60
4	विरेन्द्र सिंह	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मुख्या0 / हाजीपुर	08.02.61
5	रामफेर यादव	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	पीडी / मुगल0	31.12.61
6	भारत भूषण पांडेय	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मरेप्र / दानापुर	23.12.59
7	प्रमोद कुमार	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मुख्या0 / हाजीपुर	01.07.62
8	डा0 चेन्देव सिंह	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मरेप्र / सोनपुर	12.06.60
9	ए0 के0 शर्मा	अ0जा0	वरिष्ठ अनुवादक	मरेप्र / धनबाद	06.03.72
10	अरविन्द मिश्रा	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मरेप्र / मुगल0	09.01.61
11	सीताराम शर्मा	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मुख्या0 / हाजीपुर	03.08.56

दिलीप

अनुलग्नक "ख"

राजभाषा अधिकारी (ग्रुप "बी") पद पर चयन हेतु रिजर्व कर्मचारियों की सूची

कम सं0	नाम (श्री / श्रीमति)	समुदाय	पदनाम	पदस्थापना स्थल	जन्म तिथि
1	रंजीत प्रसाद	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मंरेप्र / सोनपुर	01.01.65
2	रंभा कुमारी	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मंरेप्र / सम0	26.01.64
3	शेखर नाथ झा	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	आरसीटी / पटना	01.02.67
4	अवध नारायण झा	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मंरेप्र / सम0	05.02.64
5	सुबोध शंकर	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मंरेप्र / दानापुर	10.02.59
6	राजकिशोर सिंह	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मुख्या0 / हाजीपुर	25.08.67
7	अनिल कुमार अंबुज	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मंरेप्र / धनबाद	01.10.66
8	अविनाश कुमार	सामान्य	वरिष्ठ अनुवादक	मुख्या0 / प्रशा0 / हाजीपुर	01.07.67
9	मो0 मुमताज	सामान्य	कनिष्ठ अनुवादक	मंरेप्र / सम0	09.02.64
10	विनोद कुमार	सामान्य	कनिष्ठ अनुवादक	मंरेप्र / मुगल0	01.01.72
11	प्रमोद कुमार	सामान्य	कनिष्ठ अनुवादक	आर0 आर0 बी / पटना	15.03.65

अनुलग्नक "ग"

सेवा में,
महाप्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय :– राजभाषा अधिकारी (ग्रुप "बी") के पद के चयन में शामिल होने संबंधित सहमति/असहमति पत्र।

संदर्भ :– आपका पत्र सं0– दिनांक–

महोदय,

1. मैं...पदनाम......................................नियुक्ति स्थान..............................आपके अधिसूचना की पावती स्वीकार्य करता हूँ तथा राजभाषा अधिकारी के पद के चयन में शामिल होने के संबंध में अपना विकल्प निम्न प्रकार से देता हूँ।
2. मैं राजभाषा अधिकारी (ग्रुप "बी") के उक्त चयन में शामिल होने का ....हूँ। (इच्छुक/इच्छुक नहीं हूँ – से खाली स्थान को भरें।)

तिथि :–

आपका

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
स्थान

अग्रसारित करने वाले नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम मुहर सहित

राजभाषा अधिकारी (ग्रुप "बी") पद पर पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यकम

लिखित परीक्षा के लिए यदि 100 अंक निर्धारित किया जाय तो इन अंको का बंटवारा निम्नलिखित रूप में होगा–

1. **निबन्ध–** यह निबन्ध हिन्दी में लिया जायेगाा और इसके लिए कोई भी सामयिक विषय अथवा राजभाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित विषय रख जायेंगे। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर भी निबन्ध लिखनें को कहा जा सकता है। लेख में भाषा की शुद्वता के साथ–साथ लेखन शैली एवं संबंधित विषय की जानकारी पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ....**30 अंक**

2. **अनुवाद–** अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के लिए लगभग 250 (अधिक से अधिक 300) अंग्रेजी शब्द दिये जायेगे।..**20 अंक**

3. **रूपान्तर–** हिन्दी से अंग्रेजी रूपान्तर के लिए दी जाने वाली सामग्री का आकार भी उपर्युक्त रूप में ही होगा।

   दोनो प्रकार के अुनवादों में यह ध्यान दिया जायेगाा कि वे सही और स्पष्ट हों। व्याकरण संबंधी नियमों एवं भाषा के गठन पर भी ध्यान दिया जायेगाा।..**20 अंक**

4. **राजभाषा अधिनियमों एवं नियमों से संबंधित प्रश्न–** यहॉ यह अपेक्षा की जायेगी कि परीक्षार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियमों एवं नियमों की बारीकियों की जानकारी हो। इसकी जॉच के लिए तथ्यात्मक एवं समस्या मूलक दोनो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा राजभाषा अधिनियमों और नियमों के निर्माण के कार्य, उनके प्रावधान, संसदीय राजभाषा समितियों, आयोगों आदि का गठन, उनकी सिफारिशें, हिन्दी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन, कार्यकलापों आदि से संबंधित प्रश्न तथ्यात्मक प्रश्न माने जायेंगे।

   इसी तरह उम्मीदवार की रेल संगठन और उसके विभिन्न कार्यालयों के संबंध में कितनी जानकारी है यह मालूम करने के लिए सामान्य प्रश्न भी पूछे जा सकते है।

   समसंख्यामूलक प्रश्नों में कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का उल्लेख कर परीक्षार्थियों से उचित समाधान पूछा जा सकता है। जैसे किसी कार्यालय विशेष से कोई परिपत्र या आदेश निर्गत होता है तो उसकी भाषा क्या होगी अथवा–ख क्षेत्र में स्थित कोई केन्द्रीय कार्यालय–क क्षेत्र के किसी कार्यालय को पत्र लिखता हे तो किस भाषा का प्रयोग करेगा, आदि..**20 अंक**

5. **शब्दः सामर्थ्यः–** इसके अंतर्गत कुछ कठिन हिन्दी/अंग्रेजी शब्दों के अर्थ अथवा पर्याय पूछे जा सकते है। रेलों पर अंग्रेजी के अतिव्यवहृत शब्दों के हिन्दी पर्याय संक्षिप्त अंग्रेजी शब्दों/पदनामों के हिन्दी पर्याय भी पूछे जा सकते है।........**10 अंक**

नोट :– रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 ई/जीपी/88/2/।।। दिनांक 20.08.1991 के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार लिखित परीक्षा 150 अंक की होगी। अतः अंको का वितरण आनुपातिक रूप से यथानुसार रहेगा।

[signature] 22/3/16